न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/74/2020

श्री विनय शर्मा पुत्र चरनलाल शर्मा,फोर्ट फिलिंग स्टेशन सेवर,भरतपुर ।

बनाम

जिला रसद अधिकारी,भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 14.10.2020**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री विनय शर्मा पुत्र चरनलाल शर्मा,फोर्ट फिलिंग स्टेशन सेवर, भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 14.08.2020 जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से सूचना चाही गई थी । जिला रसद अधिकारी,भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/536 दिनांक 25.09.2020 के द्वारा जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से उनके पत्र कमांक 10 दिनांक 13.10.2020 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं जिला रसद अधिकारी,भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 10 दिनांक 13.10.2020 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनांऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। जिला रसद अधिकारी,भरतपुर ने अपने जबाब की ताईद में पत्र कमांक 1688 दिनांक 15.09.2020 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो. ने अपीलांट को सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी,भरतपुर को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर